

28/10/21

Form No-III

अज अदालत

फर्द अहकाम (नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

रायसिंहनगर

किस्म मुकदमा 130 एल आर एक्ट

बनाम सरकार

नाम्बर 133 सन् 2021

जी.सी.एम.एस. आईडी 2021 /

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियटिव्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी किए
28/10/21	<p>तहसीलदार भू.अ. / नायब तहसीलदार <u>श्री. राजीव कुमार</u> रायसिंहनगर के पंचांक / भू.अ. / प्र.गां.सं.अ. / 2021 / <u>28/10/21</u> के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत <u>श्री. राजीव कुमार</u> में प्रार्थी के नाम चक <u>S.P.P.O.</u> की जमाबंदी सम्बन्ध <u>2021-2022</u> के खाता सं. <u>77</u> में</p> <p><u>S.B.J. शाखा राजसिंहनगर</u> के स्थान पर <u>S.B.J. शाखा राजसिंहनगर</u></p> <p>की दुरुस्ती किये जाने की अनुशंषा की हैं। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। मजमा-ए-आम कैम्प कोर्ट में तहसीलदार / नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार दुरुस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गयी हैं। अतः तहसीलदार / नायब तहसीलदार <u>श्री. राजीव कुमार</u> रायसिंहनगर की अनुशंषा के आधार पर वाके चक <u>S.P.P.O.</u> तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्बन्ध <u>2021-2022</u> के खाता सं. <u>77</u> में</p> <p><u>S.B.J. शाखा राजसिंहनगर</u> के स्थान पर <u>S.B.J. शाखा राजसिंहनगर</u></p> <p>की दुरुस्ती करने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तूर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। पत्रावली फ़ैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया।</p>	

(अर्पिता सोनी)

उपखण्ड अधिकारी

रायसिंहनगर

28/10/21